



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना चांदीनगर

दिनांक 05.07.2024

थाना चांदीनगर पुलिस ने चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से निर्मित व अधनिर्मित पटाखे तथा पटाखे बनाने की सामग्री कुल वजन करीब 230 किलोग्राम बरामद ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से निर्मित व अधनिर्मित पटाखे तथा पटाखे बनाने की सामग्री कुल वजन करीब 230 किलोग्राम बरामद हुई है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना चांदीनगर पर मु0अ0सं0 133/24 धारा 5/9ख विस्टफोटक अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-सुलेमान अली पुत्र स्व0 बुनियाद अली निवासी ग्राम शरफाबाद थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 2-खालिद पुत्र स्व0 बाबू निवासी शरफाबाद थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

### बरामदगी का विवरण-

- निर्मित व अधनिर्मित पटाखे तथा पटाखे बनाने की सामग्री वजन करीब 230 किलोग्राम ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री युद्धवीर सिंह थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
2. उ0नि0/यूटी सनुज कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
3. है0का0 295 नरेन्द्र गौड थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
4. का0 427 अरुण भाटी थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।



5. का0 912 सुरज सिकवाकर थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना चांदीनगर दिनांक 05.07.2024

थाना चांदीनगर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 130/24 धारा

74/75/352/115(2)/351(2)/351(3) बी.एन.एस व 7/8 पोक्सो एक्ट में वांछित 01

अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 130/24 धारा 74/75/352/115(2)/351(2)/351(3)



बी.एन.एस व 7/8 पोक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

गुड्डू पुत्र सोमपाल निवासी ग्राम चमरावल थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री अमर सिंह थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

2-म0उ0नि0/यूटी शीतल थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

3-का0 193 अंकुर भाटी थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत  
थाना छपरौली

दिनांक 05.07.2024

थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 104/24 धारा 363/368 भादवि से  
संबंधित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 104/24 धारा 363/368 भादवि से संबंधित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

मोनू गोस्वामी पुत्र रमेश निवासी बिजरोल रोड कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0- श्री शीलेन्द्र सिंह थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 2-है0का0- 410 राजवीर सिंह थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 3-का0 633 जहाँगीर थाना छपरौली जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना छपरौली

दिनांक- 05.07.2024

थाना छपरौली पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

### कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



### गिरफ्तार वारण्टी/अभियुक्त का नाम व पता:-

अमित पुत्र रोशन निवासी ग्राम रठौडा थाना छपरौली जनपद बागपत ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-उ0नि0 श्री विविध महाजन थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 2-का0 289 सुधीर पंवार थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 3-का0 953 अंकुल थाना छपरौली जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत  
थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 05.07.2024

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 230/23 धारा  
147/323/504/506/452/308/315 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार

|

### संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 10.03.2023 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी विनोद पुत्र रामेश्वर निवासी ग्राम गौरीपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त सतीश आदि 05 अभियुक्तगण द्वारा वादी के घर में घुसकर वादी व वादी के परिजनों के साथ मारपीट की व वादी के सिर में चोट मारी तथा जान से मारने की धमकी दी। इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के



आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 230/2023 धारा 147/452/323/308/506 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया था।

उपरोक्त अभियोग में विवेचना के दौरान धारा 504/315 भादवि की वृद्धि की गई।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के

मु0अ0सं0 230/23 धारा 147/323/504/506/452/308/315 भादवि में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-**

अंकुश उर्फ रविन्द्र पुत्र ब्रजपाल निवासी गौरीपुर निवाडा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1-उ0नि0 श्री विका कुमार थाना बागपत जनपद बागपत ।

2-का0 379 अखिलेश शर्मा थाना बागपत जनपद बागपत ।

